**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1573**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**खाना पकाने के तेल से जैव-डीज़ल का उत्पादन**

**1573.श्री प्रभात झाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में प्रयुक्त हो चुके खाना पकाने के तेल के लिए व्यवस्थित भंडारण श्रृंखला उपलब्ध नहीं है, जबकि इससे जैव-डीज़ल के उत्पादन की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रयुक्त हो चुके खाना पकाने के तेल से जैव-डीज़ल का उत्पादन करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए वांछित कदम उठाए हैं/उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क)    और (ख): राष्‍ट्रीय जैव ईंधन नीति – 2018 में अन्‍य बातों के साथ देश में जैव डीजल के उत्‍पादन हेतु प्रयुक्‍त खाद्य तेल (यूसीओ) की परिकल्‍पना भावी घरेलू कच्‍चे माल के रूप में  की गई है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने पुन: प्रयोग के लिए प्रयुक्‍त खाद्य तेल (आरयूसीओ) शुरुआत की है जो प्रयुक्‍त खाद्य तेल को एकत्रित करने और उसे जैव डीजल में परिवर्तित करने के लिए पारस्थितिकी के अनुकूल है। एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबारी प्रचालकों (एफबीओज) द्वारा यूसीओ की सुरक्षित हैंडलिंग और निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की है। आरयूसीओ पहल के तहत प्राधिकृत एग्रिगेटरों द्वारा एफबीओज से यूसीओ एकत्रित किया जा रहा है और उसे जैव डीजल के उत्‍पादन हेतु जैव डीजल संयंत्र भेजा जा रहा है। मई, 2019 में एफएसएसएआई ने जैव डीजल विनिर्माताओं को प्राधिकृत एग्रिगेटर से यूसीओ एक‍त्र करने के लिए प्राधिकृत करते हुए उनके अनंतिम पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभी तक कुल 12 जैव डीजल विनिर्माताओं को पंजीकृत किया गया है।

(ग)और (घ) : यूसीओ से जैव डीजल के उत्‍पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से तेल विपणन कंपनियों ने पूरे देश के 200 स्थलों पर यूसीओ से उत्‍पादित जैव डीजल की आपूर्ति हेतु रुचि की अभिव्‍यक्ति आमंत्रित की है। 3 वर्षों के लिए कारखाने तक का यूसीओ जैव डीजल मूल्‍य निर्धारित कर दिया गया है। इस मूल्‍य के अलावा जीएसटी और परिवहन प्रभार देय होंगे।

\*\*\*\*\*